

झारखंड सरकार,
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.- 8/ज.स.(नि.)डाल.-2/2010:- /राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री विश्वनाथ गोस्वामी, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवा निवृत्त सहायक अभियंता (चालू प्रभार), जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा अवर प्रमण्डल के रोकड़ पंजी में जिला योजना की राशि 28.00 लाख रुपये एवं विद्युत शुल्क 2136/- लंबित रखने के लिए विभागीय संकल्प सं. 4202 दिनांक 23.11.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक समीक्षोपरान्त श्री गोस्वामी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने की स्थिति में इन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय की संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ श्री विश्वनाथ गोस्वामी, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवा निवृत्त सहायक अभियंता जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

१९

राँची, दिनांक:- 7.1.15

प्रतिलिपि:- वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


7.1.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

7.1.15